बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

<u>आवश्यक सूचना</u>

विज्ञापन संख्या – 02/2022, शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अन्तर्गत कंडिका 3 **(vi)** – उम्र सीमा के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का बंधेज नहीं है, परन्तु दिनांक – 01.08.2021 को अधिकतम उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपरोक्त शिक्षकों को छोड़कर सी॰बी॰एस॰ई॰/आई॰सी॰एस॰ई॰/बी॰एस॰ई॰बी॰ से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए उम्र दिनांक – 01.08.2021 को न्यूनतम 31 वर्ष होनी चाहिए। दिनांक – 01.08.2021 को अनारक्षित (पुरूष) के लिए अधिकतम उम्र – 47 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित (महिला) के लिए अधिकतम उम्र – 50 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) के लिए अधिकतम उम्र – 52 वर्ष होनी चाहिए, परन्तु दिनांक – 01.08.2021 को अधिकतम उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

तदनुसार ऑनलाईन आवेदन में आवश्यक सुधार कर दिया गया है। विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

14.3.22

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना